


न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
अलवर [ राज० ]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
9-2-21	<p>पन्नावली पेडा डुडा सरिस्त्र रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाये। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम खजाना गार्पना. पत्र पर अपीलार्थ अभिभाषक को सुना गया तथा तहत अदालत के आदेशों एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंतिम अपी. द्वारा तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया है तथा तहत अदालत के आदेशों के विरुद्ध न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी गई है और तहत अदालत द्वारा पारित आदेशों पर खजाना चारा है। तहत अदालत के आदेशों एवं फाटि का अवलोकन करने के उपरान्त किसी प्रकार का अन्तरिम खजाना जारी किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अपी. को निर्देश दिए जाते हैं कि वह तहत न्याया. में उपस्थित होकर चाराजोही करें। उबरठा तहत अदालत को (रिमाण्ड) प्रलिपिपित किया जाता है। पन्नावली फ़ैसल बुमार होकर, मन्बर से बम की जाकर बाद तबन्तीय जाहता दाखिल दफ़तर हो।</p>	

  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
 राजस्व अपील अधिकारी, अलवर